संख्या- 104 /4201 /चार-2015-90(वि)/2015

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 22 दिसम्बर, 2015

विषय:- उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र के प्रारूप के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2193/सं0नि0-15(यश भारती सम्मान)/2015-16 दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 97 / 3810/चार-2015-90(वि0)/2015 , लखनऊ: दिनांक: 03 नवम्बर,2015 निर्गत की गयी है। प्रश्नगत नियमावली के प्रस्तर- 4 के अनुसार आवेदन पत्र के अनुसार पात्र महानुभावों को इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन , लखनऊ को आवेदन पत्र दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है। तद्नुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक संस्कृति निदेशालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन नियमावली, 2015 के अधीन निम्नलिखित दो प्रारूपो पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

प्रारूप-1

उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र

1-	महानुभाव का नाम	----------	महानुभाव का फोटो
2-	महानुभाव के पिता/पति का नाम	----------	
3-	महानुभाव का पूरा स्थायी पता	----------	
4-	महानुभाव का वर्तमान (पत्राचार का) पता	----------	
5-	जन्म तिथि /वर्ष	----------	
6-	प्राप्त सम्मान का नाम एवं वर्ष	----------	

(कृपया सम्मान के प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

7- * सरकारी सेवा में है / थे ----------

8 - बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:-

(अ) बैंक का नाम ----------

(ब) बैक एकाउन्ट नम्बर ----------

(स) ब्रान्च का आई0एफ0एस0सी0 कोड ----------

(द) पैन नम्बर ----------

* (राज्य सरकार/केन्द्र सरकार का विभाग अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित /सहायतित संस्थान/प्रतिष्ठान)

<u>घोषणा</u>:-

(1) मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे अपने लिए पेंशन की आवश्यकता है।

(2) मै सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई अनैतिक /अपराधिक दोष सिद्ध नही है और न ही मुझे किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है।

(3) उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है। यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दे और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, विधि अनुसार वसूल कर ली जाये।

दिनांक :-

महानुभाव का हस्ताक्षर

महानुभाव का नाम

दूरभाष / मो0 नं0

<u>प्रारूप-2</u>

<u>उ0प्र0 के यश भारती एवं पदम सम्मान से सम्मानित महानुभावों को मासिक पेंशन योजना के अन्तर्गत जीवित होने का प्रमाण पत्र</u>

(1) मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मै जीवित हूँ और मुझे अपने लिए पेंशन की आवश्यकता है।

(2) मै सत्यनिष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि मेरे विरूद्ध कोई अनैतिक /अपराधिक दोष सिद्ध नही है और न ही मुझे किसी अपराध के लिए दण्डित किया गया है।

(3) यदि कोई विवरण गलत पाया जाता है तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दे और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है, विधि अनुसार वसूल कर ली जाये।

महोनुभाव का फोटो

हस्ताक्षर :

नाम:

पता :

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

अतएव उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के आलोक में कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव

संख्या- 104 (1) / 4201 /चार-2015तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, श्रीराज्यपाल , उ0प्र0 ।
2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संस्कृति विभाग,उ0प्र0 ।
4- महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद।
5- मुख्य स्टाफ आफीसर , मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक,संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
10- निदेशक, उ0प्र0 पुरातत्व विभाग, लखनऊ ।
11- निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय , लखनऊ।
12- निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग , लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप/नियमावली को आगामी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
13- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
14- मुख्य कोषाधिकारी , जवाहर भवन, लखनऊ ।
15- वित्त (ई-7) अनुभाग ।
16- गोपन अनुभाग-1 को उनके अशा0 पत्रसंख्या- 4/2/19/2015-सी0 एक्स (1) दिनांक 23 अक्टूबर, 2015 के क्रम में ।
17- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/